

(12)

ब न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही।

लगान निर्धारण वाद संख्या 18/14

सुदामा महतो -बनाम- राज्य

तारिख	-: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-	अभियुक्ति
	आवेदक सुदामा महतो पिता स्व० गोवर्धन महतो निवासी ग्राम+पो० चुगलामो थाना बरकट्टा, जिला हजारीबाग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मौजा बनपुरा अन्तर्गत पुराना खाता नं० 11 पुराना प्लॉट नं० 261 रकबा 0.69 ए० नया खाता नं० 48, नया प्लॉट नं० 452, रकबा 0.31 ए० एवं प्लॉट नं० 465, रकबा 0.38 ए० भूमि का लगान निर्धारण कायम करने का अनुरोध किया है। आवेदक के आवेदन उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात विधिवत् अभिलेख खोला गया। पक्षकार को नोटिस निर्गत कर संबंधित भूमि का कागजात एवं लिखित तहरीर दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया। अंचल अधिकारी, बरकट्टा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। नोटिस का तामिला साक्ष्य हेतु अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन में उल्लेखित किया गया है कि आवेदक के पिता ग्राम चुगलामों पो०-चुगलामों, थाना बरकट्टा के निवासी है। मौजा बनपुरा थाना नं० 64 अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि हुकुमनामा द्वारा जमींदार लाला राम पाण्डेय से संवत् 1995 में आवेदक के पिता स्व० गोवर्धन महतो ने प्राप्त किये तथा जमींदारी लगान रसीद प्राप्त किये। ग्राम बनपुरा में जब माईनर सर्वे हुआ, जिसमें प्लॉट नं० 452, रकबा 0.31 ए० एवं प्लॉट नं० 465, रकबा 0.38 ए० परिवर्तित होकर सुरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग के अन्तर्गत दर्ज कर दिया गया, जिसकी जानकारी आवेदक के पिता को दिनांक 11.11.1978 के पूर्व तक नहीं थी। जब वन विभाग के कर्मचारी दिनांक 11.11.1978 एवं दिनांक 23.02.1981 को जमीन छोड़ने हेतु कहा गया तो आवेदक के पिता ने मुशफ कोडरमा के न्यायालय में टाइटल सुट सं० 30/2081 गोवर्धन महतो वगै० बनाम बिहार सरकार दायर किया गया। न्यायालय मुशफ कोडरमा द्वारा दिनांक 30.09.1981 एवं 14.11.1981 को पारित आदेश में प्रश्नगत भूमि को कृषि भूमि घोषित करते हुए अपीलार्थी (आवेदक के माता पिता) को उक्त भूमि का स्वत्व दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में आवेदक के पिता वगै० द्वारा अंचल अधिकारी, बरकट्टा से सरकारी लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया, लेकिन काफी समय तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात आवेदक ने पुनः अंचल अधिकारी, बरकट्टा से सरकारी लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया लेकिन अंचल अधिकारी, बरकट्टा द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही के न्यायालय में आवेदन देने को कहा। आवेदक द्वारा लगान निर्धारण हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही के न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसे भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही द्वारा आवेदन स्वीकृत किया गया। इस न्यायालय के पत्रांक 449/रा०, दिनांक 11.09.14 के अलोक में अंचल अधिकारी, बरकट्टा द्वारा पत्रांक 193, दिनांक 21.03.2015 द्वारा लगान निर्धारण वाद सं० 02/14-15 संधारित करते हुए जांच प्रतिवेदन सह लगान निर्धारण प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बनपुरा थाना सं० 64 खाता सं० 48 सर्वे खतियान मे "सुरक्षित वन भूमि" है। इस भूमि पर वर्तमान में आवेदक का धान खेत के रूप में दखल कब्जा है। प्रस्तावित भूमि के प्लॉट सं० 452, 465 के रकबा क्रमशः 0.31 ए० एवं 0.38 ए० कुल	

Jee
22/08/15

13

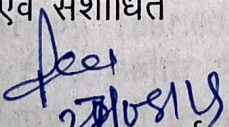
रकबा 0.69 ए० में प्लॉट सं० 465 के रकबा 0.04 ए० भूमि पर खांसो मियां पिता टहल मियां का दखल कब्जा है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम बनपुरा के पुराना सर्वे 1911-12 के अनुसार खाता सं० 11 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है, जो वर्तमान में पुराना प्लॉट सं० 261, रकबा 0.69 ए० भूमि सुदामा महतो पिता स्व० गोवर्धन महतो के दखल में है। नया सर्वे 1961-62 के अनुसार खाता सं० 48 सुरक्षित वन विभाग के खाते की भूमि है, जिसमें प्लॉट सं० 452 रकबा 0.31 ए० वर्तमान में धान खेत-॥ के रूप में तथा प्लॉट सं० 465 रकबा 0.38 ए० मधे रकबा 0.34 ए० भूमि धान खेत-॥॥ के रूप में है।

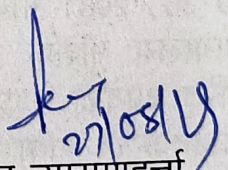
अंचल अधिकारी, बरकट्टा द्वारा प्लॉट सं० 465 के रकबा 0.38 ए० मधे रकबा 0.04 ए० भूमि जो वर्तमान में श्री खांसो मियां पिता टहल मियां के दखल कब्जा में है को छोड़कर मौजा बनपुरा के खाता सं० 48 प्लॉट सं० 452, 465, रकबा क्रमशः 0.31 ए०, 0.34 ए० कुल रकबा 0.65 ए० भूमि का लगान 10.00 (दस) रुपये अलावे शेष निर्धारित करते हुए लगान निर्धारण संबंधित फार्म-एम एवं नक्शा तीन-तीन प्रतियों में प्रेषित किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, एवं आवेदक के विज्ञ अधिकार को सुनने, न्यायालय मुंशिफ कोडरमा के टाईटल वाद सं० 30/2081, गोवर्धन महतो वगै० बनाम बिहार सरकार में दिनांक 30.09.1981 एवं 14.11.1981 को पारित आदेश तथा अंचल अधिकारी, बरकट्टा के जांच प्रतिवेदन एवं लगान निर्धारण प्रस्ताव के आधार श्री सुदामा महतो पिता स्व० गोवर्धन महतो ग्राम+पो० -चुगलामों के नाम मौजा बनपुरा खाता सं० 48, प्लॉट सं० 452, रकबा 0.31 ए०, प्लॉट 465, रकबा 0.34 कुल रकबा 0.65 ए० भूमि का लगान 10.00 (दस) रुपये अलावे शेष अनुमोदित करते हुए लगान निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, बरकट्टा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बरही, हजारीबाग।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बरही, हजारीबाग